



संख्या-19/2026/आई/1308582/001-64-2002-002-7-2026

प्रेषक,

उमेश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

लखनऊ : दिनांक 24-04-2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार
योजनान्तर्गत आय-व्ययक के अनुदान सं0-79 में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण के पत्र संख्या-83/पि0व0क0/2025-26, दिनांक 15 अप्रैल, 2026 तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-79 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि **रु० 100.00 लाख (रुपये एक करोड़ मात्र)** को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किए जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की एतद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय उपरिसंदर्भित वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में दिए गए निर्देशों को पूर्णतया ध्यान में रखते हुए तथा उसमें उल्लिखित संगत शर्तों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए ही किया जायेगा।

(2) एतदर्थ आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा धनावंटन के समय राजकीय कोष से आहरित धनराशि का विवरण प्रपत्र बी0एम0-8 में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जनपदों से संकलित कर शासन को प्राप्त कराया जायेगा। इसका अनुपालन न किये जाने की दशा में इसे अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

(3) स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भी दशा में वित्तीय वर्ष 2026-27 में किन्हीं नई मदों के उपयोग हेतु नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अवशेष धनराशि का समर्पण ससमय शासन को प्रेषित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार-प्रसार योजना हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-आई/1079612/2025/64-2003(001)/1/2025, दिनांक-04-09-2025 में उल्लिखित प्रावधान/दिशा-निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों/दिशा निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रश्रुत प्रावधानों से विचलन अनियमितता के रूप में लिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(5) स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का कोषागार से आहरण वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा।

(6) इस संबंध में समस्त जनपद/मण्डल स्तरीय संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए अग्रतर निर्देश आपके स्तर से जारी किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 079 लेखा शीर्षक 2225038000300** अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं का प्रचार- प्रसार **मानक मद 42** अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

उमेश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या -19/2026/आई/1308582/001-64-2002-002-7-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4. मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, उ०प्र०।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. राज्य योजना आयोग-1
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमेश यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।